

देश की
क एवं
तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर क
गई कार्यवाही

1

**जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का न्यायालय,
साहेबगंज।**

अधिहरण वाद संख्या- 25/2021-22

राज्य सरकार -बनाम- तस्लीम अंसारी

-: आदेश :-

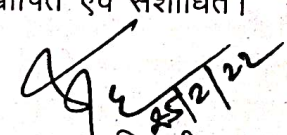
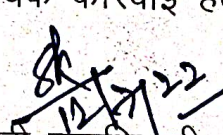
25.02.2022

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 3158/अप0शा0, दिनांक 31.07.2021 से बरहेट थाना कांड संख्या 02/2021, दिनांक 03.01.2021 द्वारा झारखण्ड लघु खनिज धारा-414/467/468/471/471/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत जप्त ट्रक संख्या-JH09Z-5363 को जप्त कर राजसात करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं विपक्षी से नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की माँग की गई।

यह मामला संक्षिप्त निम्न प्रकार है:- पुलिस अवर निरीक्षक, गौरव कुमार, थाना प्रभारी, बरहेट को सूचना मिली कि एक कोयला से लदा ट्रक फर्जी कागजात के साथ बरहरवा की ओर जाने वाली है। इस संबंध में वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचित करते हुए सनाह दर्ज किया गया एवं आदेशानुसार जाँच तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु सशस्त्र बल के आरक्षी-43 टीपन रविदास एवं आरक्षी-201 लालजी दुडू के साथ करीब 19:15 बजे भोगनाडीह मोड़ पहुँचे। प्राप्त सूचना के अनुसार जाँच प्रारम्भ किया गया। समय करीब 20:00 बजे तीन मुहानी चौक की ओर से आ रही ट्रक पुलिस टीम को देख कर भागने लगे, जिसे पुलिस बल के सहायता से खदेड़ कर पकड़ लिया गया। जाँच करने पर पता चला कि ट्रक संख्या JH09Z/5363 पर लगभग 25 टन कोयला लोड है। चालक से लोड कोयला के परिवहन संबंधी कागजात माँग करने पर चालक द्वारा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा निर्गत परागमन हेतु अनुज्ञा पत्र, जिसका नं0-JH-M-FECC009100 एवं क्रमांक JHAA0454976 पाया गया। चालक से साहेबगंज में कोयला परिवहन से संबंधित कागजात का माँग करने पर उनके द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। चालक का नाम पता पूछने पर उनके द्वारा अपना नाम महताब अंसारी, पे0-शाहिद अंसारी, सा0-कुरपनिया, चैती पानी टंकी, थाना-गाँधीनगर, जिला-बोकारो बताया। चालक से कोयला के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि गाड़ी मालिक मो0 तस्लीम अंसारी, पे0-मो0 मुस्लिम अंसारी, सा0-कुरपनिया, चैती पानी टंकी, थाना-गाँधीनगर, जिला-बोकारो के कहने पर झारखण्ड राज्य के विभिन्न स्थानों पर कोयला पहुँचाते हैं।

पुलिस अवर निरीक्षक, बरहेट थाना द्वारा स्थानीय दो स्वतंत्र गवाह 1. फिरोज अंसारी, पे0-नुरुल हक, सा0-बरहेट सथाली, थाना-बरहेट, जिला-साहेबगंज एवं 2. उदय गोराई, पे0-प्रफुलो गोराई, सा0-खुटाना, थाना-बरहेट, जिला-साहेबगंज के समक्ष ट्रक संख्या JH09Z/5363 को कोयला सहित विधिवत जप्ती सूची बनाते हुए जप्त किया गया।

ट्रक मालिक द्वारा चालक के माध्यम से अवैध रूप से कोयला परिवहन करने के आरोप में ट्रक संख्या JH09Z/5363 के मालिक, चालक, कोयला के क्रेता एवं विक्रेता को कांड का प्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए बरहेट थाना कांड संख्या 02/2021 दिनांक 03.01.2021 दर्ज किया गया एवं ट्रक संख्या JH09Z/5363 पर लोड कोयला को क्षति होने से बचाने के लिए कोयला सहित गाड़ी को थाना परिसर में लाया गया।

आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गई गयीं वा
	2 विपक्षी तसलीम अंसारी कारण पृच्छा के साथ उपस्थित। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा ट्रक को व्यवसायिक बताते हुए मुक्त करने का अनुरोध किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 500/जि०परि०, दिनांक 25.11.2021 द्वारा दण्ड की राशि जमा संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त। जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज से उनके पत्रांक 160/एम०, दिनांक 23.02.2022 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवैध रूप से ट्रक में कोयला लोड कर परिवहन किया जा रहा है, जिसकी पुष्टि उक्त प्रतिवेदन से होता है। विपक्षी द्वारा वाहन संख्या JH09Z-5363 में लदे कोयला का दो गुणा जमा Royalty कर दिया गया है। उक्त कोयला को मुक्त करना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के अनुशंसा के आधार पर बरहेट थाना कांड संख्या 02/2021, दिनांक 03.01.2021 में जप्त ट्रक संख्या-JH09Z-5363 पर लदे कोयला को छोड़ कर The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 का 11(V) के अन्तर्गत राजसात (अधिहरित) करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि थाना प्रभारी, बरहेट के उपस्थिति में ट्रक संख्या-JH09Z-5363 को नीलामी कर प्राप्त राशि जिला नजारत में जमा करेंगे एवं कोयला को अपने गंतव्य स्थान तक ले जाने हेतु चालान निर्गत करेंगे। अभिलेख दिनांक लेखापित एवं संशोधित।  जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त, साहेबगंज। को उपस्थापित करें।  जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त, साहेबगंज। पत्रांक 433 / विधि०, साहेबगंज, दिनांक 12/02/22 प्रतिलिपि:- जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि:- थाना प्रभारी, बरहेट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, साहेबगंज।	